

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल
प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भागलपुर, पटना, रोहतास एवं किशनगंज।

पटना, दिनांक 19-3-2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹2,38,00,000/- (दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹2,38,00,000/- (दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	कूट संख्या	इकाई मद						योग
			कैमूर	भागलपुर	पटना	रोहतास	किशनगंज	
1	11 01	यात्रा व्यय	0	0	2,00,000	0	0	2,00,000
2	13 01	कार्यालय व्यय	15,00,000	16,00,000	0	45,00,000	35,00,000	111,00,000
3	13 02	वा0 का ई0 एवं रख रखाव	0	0	0	40,00,000	16,00,000	56,00,000
4	13 03	दूरभाष	0	0	0	1,50,000	1,50,000	3,00,000
5	13 04	विद्युत प्रभार	0	0	0	20,00,000	10,00,000	30,00,000
6	20 01	आतिथ्य व्यय	5,00,000	0	0	0	0	5,00,000
7	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000	0	0	0	0	1,00,000
8	28 02	सविदा सेवाएँ	0	0	30,00,000	0	0	30,00,000
कुल योग-			21,00,000	16,00,000	32,00,000	106,50,000	62,50,000	238,00,000

(दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र।


- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- जिला पदाधिकारी, भागलपुर को जिला नजारत शाखा, भागलपुर के पत्रांक 7 दिनांक 18.02.2019 एवं पत्रांक 132 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

क०प०उ०

7. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।
16. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-158 दिनांक 13.03.2019 के आलोक में अवकाश अन्य कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति में प्रभार के विषय पर निर्गत होने तक कार्य निष्पादन हेतु श्री हिमांशु कुमार राय (भा०प्र०से०), अपर सचिव प्राधिकृत हैं। (छायाप्रति संलग्न)।

अनु०:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन



19.3.19
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय
भा0प्र0से0
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
कैमूर, भागलपुर, पटना, रोहतास एवं किशनगंज।

पटना, दिनांक-

2019

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹2,38,00,000/- (दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड-33-2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत विभिन्न विषय शीर्षों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय के लिये कुल ₹2,38,00,000/- (दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	कूट संख्या	ईकाइ मद						योग
			कैमूर	भागलपुर	पटना	रोहतास	किशनगंज	
1	11 01	यात्रा व्यय	0	0	2,00,000	0	0	2,00,000
2	13 01	कार्यालय व्यय	15,00,000	16,00,000	0	45,00,000	35,00,000	111,00,000
3	13 02	वा० का ई० एवं रख रखाव	0	0	0	40,00,000	16,00,000	56,00,000
4	13 03	दूरभाष	0	0	0	1,50,000	1,50,000	3,00,000
5	13 04	विद्युत प्रभार	0	0	0	20,00,000	10,00,000	30,00,000
6	20 01	आतिथ्य व्यय	5,00,000	0	0	0	0	5,00,000
7	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,00,000	0	0	0	0	1,00,000
8	28 02	संविदा सेवारत	0	0	30,00,000	0	0	30,00,000
कुल योग-			21,00,000	16,00,000	32,00,000	106,50,000	62,50,000	238,00,000

(दो करोड़ अड़तीस लाख रुपये) मात्र।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 6903 दिनांक 13.09.2018 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- जिला पदाधिकारी, भागलपुर को जिला नजारत शाखा, भागलपुर के पत्रांक 7 दिनांक 18.02.2019 एवं पत्रांक 132 दिनांक 27.02.2019 के आलोक में आवंटित की जा रही है।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

कू०पू०उ०

7. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
15. वास्तविक व्यय को आधार मानते हुए अतिरिक्त राशि की मांग की जाए न कि प्राक्कलित राशि के आधार पर राशि की मांग की जाए।
16. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-158 दिनांक 13.03.2019 के आलोक में अवकाश अन्य कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति में प्रभार के विषय पर निर्गत होने तक कार्य निष्पादन हेतु श्री हिमांशु कुमार राय (भा0प्र0से0), अपर सचिव प्राधिकृत हैं। (छायाप्रति संलग्न)।


अनु0:- यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-03/2018 सा0-59/...../ पटना, दिनांक-19-3/2019
प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कैमूर, भागलपुर, पटना, रोहतास एवं
किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.3.19
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या- 4/पद-1-101/2009 (खंड) 158/सा0,पटना, दिनांक 13-3-2019

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापित वरीय प्रभारी पदाधिकारियों के अवकाश या अन्य कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति एवं स्थानांतरण की स्थिति में प्रभार के विषय पर निर्णय होने तक की स्थिति में स्तंभ- 3 में अंकित पदाधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व आवंटित कार्यों के अतिरिक्त कार्य निष्पादन की वैकल्पिक व्यवस्था निरूपित की जाती है :-

क्र०	वरीय प्रभारी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवकाश, अन्य कारणों से अस्थायी अनुपस्थिति एवं स्थानांतरण की स्थिति में प्रभार के विषय पर निर्णय होने तक कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी
1	2	3
1	श्री हिमांशु कुमार राय (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव	श्री अवनीश कुमार सिंह, (भा0प्र0से0), उप सचिव
2	श्री अवनीश कुमार सिंह, (भा0प्र0से0), उप सचिव	श्री हिमांशु कुमार राय (भा0प्र0से0), संयुक्त सचिव
3	श्री राजेन्द्र राम (बि0प्र0से0), अपर सचिव	श्री गुफरान अहमद (बि0प्र0से0), उप सचिव
4	श्री राम शंकर (बि0प्र0से0), संयुक्त सचिव	श्री राजेन्द्र राम (बि0प्र0से0), अपर सचिव
5	श्री गुफरान अहमद (बि0प्र0से0), उप सचिव	श्री राम शंकर (बि0प्र0से0), संयुक्त सचिव

- एतद्विषयक पूर्व निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
- यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक- 4/पद-1-101/2009 (खंड)- 158/सा0,पटना, दिनांक- 13-3-19
प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी/सभी सहाय एवं डाक वितरण पटल, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव